कार्यालय– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2345 / 12-1 :देहरादूनः दिनांकः 25 मार्च, 2025

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़,
देहरादून।

विषय :– जनपद चम्पावत में विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट विकासखण्ड बाराकोट के अन्तर्गत सुतेड़ा जमरेड़ी व क्रान्तेश्वर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.760 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/42256/2019)

संदर्भ :– इस कार्यालय के पत्रांक 1001/12–1 दिनांक 23.09.2024 (प्रति संलग्न)।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भारत सरकार के ई0डी0एस0 दिनांक 12.01.2023 के द्वारा चाही गयी सूचना इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र के माध्यम से हार्डप्रति (ऑफलाईन) के माध्यम से पूर्व ही प्रेषित की जा चुकी है। सूचना ऑनलाईन वर्तमान में इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत सूचना ऑनलाईन के माध्यम से प्रेषित की जा रही है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी/प्रस्तावक विभाग के अनुरोध के दृष्टिगत प्रश्नगत प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं सवंर्धन) अधिनियम–1980 यथासंशोधित–2023 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार करना चाहें।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या– 2346 / 12-1 दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट (चम्पावत)।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

R-PD

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

Phone No. 05965/230375- Fax No.230180 Email- dfo.champawat@rediffmail.com

पत्रांक 1352/12-1 दिनांक, चम्पावत 27-9-2024

सेवा में,

वन महानिरीक्षक, (एफ0सी0)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
कमरा नं0 – A-361 IIIrd floor
अग्नी ब्लाक, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड,
नई दिल्ली, पिन – 110003।

विषय – जनपद चम्पावत में विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट विकासखण्ड बाराकोट के अन्तर्गत सुतेड़ा–जमरेड़ी व क्रान्तेश्वर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.760 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के संबंध में। **(FP/UK/ROAD/438258/2023)**

सन्दर्भ :– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी की पत्र संख्या 2560/12–1 दिनांक 14.06.2024

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि बिन्दु संख्या 1 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की के0एम0एल0 फाईल परिवेश पोर्टल में अपलोड की जानी है। जो कि इस वन प्रभाग द्वारा अपलोड करने में समस्या आ रही है। इसके लिए पूर्व में आपके द्वारा दूरभाष में दिशानिर्देश दिये गये थे। परन्तु अभी भी के0एम0एल0 फाईल अपलोड नहीं हो पा रही है।

अतः आपसे निवेदन है कि कृपया उक्त के0एम0एल0 फाईल **(ई–मेल द्वारा प्रेषित)** को परिवेश पोर्टल में अपलोड किये जाने में सहायता करने की कृपा करें। जिससे कि प्रकरण का निस्तारण किया जा सके।

भवदीय,

(आर0सी0 काण्डपाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

पत्रांकः– 1352/12-1 उक्तदिनांकित।
प्रतिलिपि–

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा को सादर सुचनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी चम्पावत को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।
4. उप प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत एवं नोडल अधिकारी, वन भूमि हस्तान्तरण को सूचनार्थ प्रेषित।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट (चम्पावत) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

प्रभारी चम्पावत
आ०का०करें।

देहरादून
1394
12-1
22-10-24

कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1001 /12–1 :देहरादूनः दिनांकः 23 सितम्बर, 2024

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़,
देहरादून।

विषयः– जनपद–चम्पावत में विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकासखण्ड बाराकोट के अन्तर्गत सुतेड़ा जमरेड़ी व क्रान्तेश्वर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.780 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–**FP/UK/ROAD/42256/2019**)

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या– 8बी/यू.सी.पी/06/83/2022/एफ0सी0/1352 दिनांक 12.01.2023।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में चाही गयी सूचना वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–2988/12–1(2) दिनांक 12.08.2024 एवं पत्रांक–478/12–1(2) दिनांक 12.08.2024 के द्वारा वांछित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जिसे निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र0सं0	आपत्ति	उत्तर/निराकरण
1.	The information related to alternate examination is not filled in online Part-I at para-D. The State Govt. is requested to fill the information in this regard	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वैकल्पिक समरेखण से सम्बन्धित सूचना ऑनलाईन भाग–1, पैरा–डी में अपलोड कर दी गयी है। (संलग्नक–1)
2.	The information related to tree enumeration is not properly filled in online part-II at Para-4 (ii). The State Govt. is requested to fill the information related to tree enumeration in online part-II at Para-4(ii).	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि मोटर मार्ग के स्वीकृत समरेखण में कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं, उक्त सूचना ऑनलाईन भाग–II, पैरा–4(ii) में अपलोड कर दी गयी है।
3.	The muck disposal plan submitted by the state govt. in not clear. The State Govt. is requested to submit clear muck disposal plan showing clear calculation regarding the muck generated, utilized and disposed over the selected sites and also submit the reclamation plan for the area proposed for muck dumping.	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मलवा निस्तारण हेतु वांछित योजना, जिसमें मलवा उत्सर्जन पुनः उपयोग एवं अतिरिक्त मलवे का गणनात्मक प्रस्ताव जिसमें चयनित स्थल में अतिरिक्त मलवे का समायोजन किये जाने के साथ–साथ मलवा निस्तारण हेतु चयनित भूमि का Reclamation Plan संलग्न कर ऑनलाईन कर दिया गया है। (संलग्नक–2)
4.	The State Govt. has uploaded the CA area against the Kml of diversion area in online part-I. The State Govt. is requested to provide the kml of diversion area showing location of villages to the benefited and alternate alignment.	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि के0एम0एल0 फाईल ऑनलाईन अपलोड कर दी गयी है, जिसकी हार्ड प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–3)

P/C

	The 1.40 ha. CA area of this proposal is overlapping with CA area of online proposal no. FP/UK/Road/38399/2019. Therefore, need to be replaced with some other suitable area.	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि दो भिन्न परियोजनाओं हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र जो overlap हो रहे थे, जिसके निराकरण हेतु उपयुक्त नवीन क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 5.500 है0 के मानचित्र तैयार कर पुनः प्रेषित किया जा रहा है, जिनकी प्रति संलग्न की जा रही है। (संलग्नक–4)

अतः प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में विषयांकित प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथा संशोधित 2023 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– 601 /12–1 दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट (चम्पावत)।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397
पत्रांक – 478 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 12/08/ 2024.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद– चम्पावत में विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकासखण्ड बाराकोट के अन्तर्गत सुतेड़ा जमरेड़ी व क्रान्तेश्वर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.780 है0 वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं0–42256 / 2019।

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक 2560 / 12–1 दिनांक 14.06.2024।

महोदय,

संदर्भित पत्र के आलोक में उक्त मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव में पायी गयी आपत्तियों का निराकरण किया गया हैः–

प्रस्ताव में पायी गयी आपत्तियां	**आपत्तियों का निराकरण**
1– बिन्दु सं0 4 के अनुसार के0एम0एल0 फाईल अपलोड नहीं की गयी है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा के0एम0एल0 दिनांक 04.05.2024 को अपलोड कर दी गयी है।
2– बिन्दु सं0 05 के अनुसार दो भिन्न परियोजनाओं हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र परस्पर Overlap हो रहे है, जिनको सही नहीं किया गया है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा दो भिन्न परियोजनाओं हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र परस्पर Overlap हो रहे थे, जिसके निराकरण हेतु उपयुक्त नवीन क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र 5.500 है0 बनाकर पुनः प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्न– जियोरिफरेंस मैप की प्रति)**

इस कार्यालय द्वारा उक्त आपत्तियों का परीक्षण किया गया एवं उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों का पालन कर प्रकरण आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव को संस्तुति सहित प्रेषित किया जा रहा है।

कृपया तद्नुसार अवगत एवं आवश्यक कार्यवाही करने पर विचार करना चाहें।

<u>(संलग्न– यथोपरि।)</u>

भवदीय

(डा0 विनय भार्गव)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

कार्यालय
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून
पंजी0 सं0 734
पत्रावली 12-1
दिनांक 22-8-24

प्रभारी-चम्पावत
आ० का० करें।

प्र० व० सं०/ नो०
20-8-24

	क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र परस्पर overlap हो रहे हैं, जिनको सही नहीं किया गया है।	जियोरिफरेंस मैप की प्रति) चूंकि प्रकरण नोडल स्तर पर लम्बित होने के कारण के0एम0एल0 डिविजन स्तर से अपलोड नहीं किया जा सकता है, अतः उक्त क्षेत्र का के0एम0एल0 ई0–मेल के माध्यम से आपको प्रेषित किया जा रहा है जिसे आप अपने स्तर से अपलोड करने की कृपा करें।

इसके अतिरिक्त प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त समरेखण में वर्तमान में कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया है व भविष्य में परियोजना की के0एम0एल0 फाईल में प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण चयनित समरेखण के अनुसार ही किया जायेगा।

अतः महोदय से अनुरोध कि प्रकरण को अपने स्तर से उच्च स्तर को अग्रसारित करने का कष्ट करें ताकि प्रकरण का निस्तारण स–समय किया जा सके।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में।

भवदीय

(आर0सी0 काण्डपाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

पत्रांकः– 700/ 12-1 उक्तदिनांकित।
प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी चम्पावत को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
लोहाघाट।

पत्रॉक :— 1355/2024 दिनॉक — 02/08/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत
प्राप्ति पत्रांक 1279
पत्रावली संख्या 12-1
दिनांक 3-8-2024

विषय :— जनपद चम्पावत में विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड बाराकोट के अन्तर्गत सुतेड़ा जमरेड़ी व कान्तेश्वर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.780 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (Onine No- FP/UK/ROAD/42256/2019)

संदर्भ :— आपका कार्यालय पत्रांक 436/12—1 दिनांक, चम्पावत 24—7—2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित के क्रम में अवगत कराना है कि प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकरी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 2560/12—1 देहरादून दिनांक 14—06—2024 द्वारा लगाई गयी आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत है—

सर्वेयर
प्रधान

क्र0 सं0	प्रस्ताव में पाई गयी आपत्तियॉ	आपत्तियों का निराकरण
1	भारत सरकार के उक्त पत्र में दिनांक 12—01—2024 के बिन्दु संख्या—4 की सूचना, चाही गयी सूचना के अनुरूप अपलोड नहीं है। अपलोड KML का अवलोकन कर स्पष्ट सूचना प्रेषित की जाय।	पूर्व में बिन्दु सं0 4 में मार्ग के स्वीकृत एवं वैकल्पिक समरेखण की KML को Online के भाग—। में सही स्थान में अपलोड करने हेतु दिशा निर्देश दिये गये थे, जिसे सही स्थान पर अपलोड कर दिया गया था, वर्तमान में मार्ग के स्वीकृत एवं वैकल्पिक समरेखन की KML फाइल देखने हेतु जियोरेफरेन्स मैप में दिये गये कोर्डिनेट के अनुसार खोला जाय। इस प्रकार मार्ग के स्वीकृत एवं वैकल्पिक समरेखन स्पष्ट प्रदर्शित हो जायेंगे। (संलग्न जियोरेफरेन्स मैप की प्रति)
2	भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 12—01—2024 के बिन्दु संख्या—5 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रकरण का ऑनलाईन परिवेश पोर्टल के अवलोकन से दृष्टिगत हो रहा है कि अभी भी दो भिन्न परियोजानाओं हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र परस्पर Overlap हो रहे है, जिनको सही नहीं किया गया है।	उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि इस प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/42256/2019) Over lapping हो रहे भाग को पृथक कर दिया गया है एवं वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नवीन CA LAnd 5.500 है0 बना कर पुनः प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्न जियोरेफरेन्स मैप CA Land की प्रति)

क्रमशः पेज—2—

महोदय अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा इंगित कमियों का निराकरण कर दिया गया है तथा परियोजना की KML फाईल में प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण चयनित समरेण के अनुसार ही किया जायेगा तथा वर्तमान तक उक्त समरेखण में कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण को अपने स्तर से उच्चाधिकारियों को अग्रसारित करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण का निस्तारण स–समय किया जा सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार संलग्नक 5 प्रतियों में।

भवदीय,

02/08/24

(इं0 संजय चौहान)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
लोहाघाट।

पत्रॉक :– ..../ दिनॉक – ...../......./2024

प्रतिलिपि – अपर प्रमुख वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि – अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – जिलाधिकरी, चम्पावत को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, लोहाघाट को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – खण्डीय अमीन, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
लोहाघाट।

कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2356 /12-1 :दिनांकः 28 मार्च, 2025

सेवा में,

1 प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग,
चम्पावत।

2 अधिशासी अभिन्यता,
राष्टीय राजमार्ग खण्ड,
लो0नि0वि0, लोहाघाट,
जनपद–चम्पावत।

विषयः–जनपद–चत्पावत के अन्तर्गत टनकपुर–पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–125 (नया–09) किमी0 60.00 धौन से किमी0 100 मुमौद (बाराकोट) के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण्ण हेतु 52.705 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Offline Proposal no-8-125/2011-FC)

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्याः–RO-file n:8-125/2011/FC दिनांक 21.03.2025 (प्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगतनीय हैं कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्याः–RO-file n:8-125/2011/FC दिनांक 18.03.2025 के द्वारा आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रहरी है कि प्रश्नगत प्रकरणों में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही करते हुए भारत सरकार द्वारा वांछित सूचना/आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि इन महत्वपूर्ण प्रकरणों का शीघ्रतिशीघ्र निस्तारण किया जा सके।

संलग्नकः–भारत सरकार का कार्यवृत्त।

भवदीय,

प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः– 2356 / 12-1 तद्दिनॉकित

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही
हेतु प्रेषित :–

प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun
सत्यमेव जयते

25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2025 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

MINUTES OF THE MEETING HELD IN REGIONAL OFFICE, MoEF&CC, DEHRADUN ON 18th MARCH, 2025

वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 तथा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन से संबन्धित कुछ प्रस्तावों के शीघ्र निस्तारण हेतु विस्तृत चर्चा दिनांक 18 मार्च, 2025 को अपराह्न 03:00 बजे श्रीमति नीलिमा शाह (भा०व०से०), सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय) की अध्यक्षता में क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारी व्यक्तिगत रूप / वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे-

Sl.No.	Name	Designation
1.	Smt. Neelima Shah, IFS	Assistant Inspector General of Forests, Regional Office, MoEF&CC, Dehradun.
2.	Shri. Naveen Chand Pant, IFS	DFO, Champawat Forest Division (*Through VC*)
3.	Shri	Representative of O/o PCCF-cum-Nodal Officer (FC), Uttarakhand. (*Through VC*)
4.	Shri Ashutosh Kumar	Executive Engineer, NH, PWD, Lohaghat.
5.	Shri Sandeep Singh	Amin, NH, PWD, Lohaghat.

At the outset, Mrs. Neelima Shah, AIGF, welcomed all participants in the meeting and further the proposal was discussed in the meeting:

Agenda Item No. 01

RO file no.: 8-125/2011-FC
जनपद-चम्पावत के अन्तर्गत टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-125 (नया-09) किमी0 60.00 धौन से किमी 100 गुमौद (बाराकोट) के चैड़ीकरण/ सुदृढ़ीकरण हेतु 52.705 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु NH, लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

The proposal was discussed with the DFO, Champawat Forest Division along with the User Agency. It was noted that the Stage-I approval was accorded by the MoEFCC (FC Division), New Delhi vide letter dated 01.08.2012 for diversion of 52.705 ha forest land in favour of BRO. Later to which the State Government vide letter dated 15.01.2018 submitted the proposal for change in the user agency from BRO to PWD. On the above request, an addendum for the change of user agency was issued by this office vide letter dt. 18.04.2018. The fees for the change in the user agency was also said to be deposited in CAMPA. Further, it was noted that equivalent CA area in civil soyam land was provided in the proposal for which as per guideline double degraded land for CA was asked for submission. The DFO, Champawat Forest Division informed that the additional land in DFL has been identified and selected. Further, the user agency informed that the CA area of 52.705 ha civil soyam land in Nisani Patti, Gogna Tehsil has been mutated in favour of forest department and details of additional area of 57.80 ha Degraded Forest Land in Champawat Forest Division along with the CA scheme has also been submitted.

After the detailed discussion, to expedite the disposal of proposal, following information/ document/ clarification was asked for submission:

1. CA scheme for entire area proposed for CA (i.e. 52.705 ha civil soyam land & 57.80 ha Degraded Forest Land) on the current rates shall be submitted.
2. Copy of mutation and notification of CA area of 52.705 ha civil soyam land shall be submitted.
3. As per the DSS analysis of the CA area of degraded forest land i.e.57.80 ha, 13 ha area found is VDF and 40 ha area found in MDF. Clarification in this regard shall be submitted.
4. The amount of NPV shall be deposited as per the current rates.

5. The DFO shall inspect the muck dumping area and submit status report.
6. Reclamation Plan for Rs. 84.00 lakhs shall be submitted by the concerned DFO.
7. A confirmation letter of CAMPA authority for the fees deposited for change in the user agency (Rs. 1.00 Lakh) shall be submitted.
8. The KML file of the proposed road shall be submitted.
9. All the balance amount shall be deposited in CAMPA fund through online only.

Agenda Item No. 02

RO file no.: 8-48/2011-FC
जनपद-पिथौरागढ़ के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या के कि०मी० 171.00 घाट से कि०मी० 198.00 ऐंचोली तक मोटर मार्ग के विस्तारीकरण / सुदृढ़ीकरण हेतु 42.292 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

The proposal was discussed with the DFO, Champawat Forest Division along with the User Agency. It was noticed that this proposal is similar to the proposal at Agenda Item No. 01. It was noted that the Stage-I approval was accorded by the MoEFCC (FC Division), New Delhi vide letter dated 12.12.2011 for diversion of 42.292 ha forest land in favour of BRO. Later to which the State Government vide letter dated 15.01.2018 submitted the proposal for change in the user agency from BRO to PWD. The fees for the change in the user agency was also said to be deposited in CAMPA. It was noted that equivalent CA area in civil soyam land was provided in the proposal however, as per rules, double degraded land for CA is applicable. The CA area of 42.292 ha civil soyam land in Himtar Patti has already been mutated in favour of forest department and details of area of 43.00 ha Degraded Forest Land in Berinag Range has been submitted.

After the detailed discussion, to expedite the disposal of proposal, following information/ document/ clarification was asked for submission:

1. CA scheme for entire area proposed for CA (i.e. 42.292 ha civil soyam land & 43.00 ha Degraded Forest Land) on the current rates shall be submitted.
2. Copy of notification of CA area of 42.292 ha civil soyam land shall be

submitted.

3. The amount of NPV shall be deposited as per the current rates.
4. The DFO shall inspect the muck dumping area and submit status report.
5. Reclamation Plan over muck dumping area shall be submitted by the concerned DFO.
6. Details of all amounts deposited in CAMPA fund with their confirmation letter shall be submitted.
7. The KML file of the proposed road shall be submitted.
8. The KML file of the complete area proposed for CA shall be submitted.
9. All the balance amount shall be deposited in CAMPA fund through online only.

The meeting ended with a vote of thanks.

Digitally signed by
Neelima Shah
Date: 21-03-2025
10:39:42

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)
सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

फ़ाइल संख्या : 8-125/2011-FC **दिनांक: As per e-sign**

वितरण:

1. प्रधान सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून ।
2. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।